(c) and (d). Government takes action against cotton textile mills under the provision of the Industries (Development & Regulation) Act, only in cases where it is of the opinion that the mill is being managed in a manner highly detrimental to the industry or the public interest.

Supply of Structural Materials to Bokaro Steel Project

1077. SHRI INDRAJIT GUPTA: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state :

(a) whether the orders placed last year for about 160,000 tons of structural materials for the Bokaro Steel Project are being fulfilled satisfactorily and on schedule;

(b) whether it is a fact that many of the suppliers are unable to meet the requirements in terms of both quality and deliveries; and

(c) if so, whether any review will be made of the policy for selecting tenders on the basis of costs alone ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT) : (a) Yes, Sir. The Hindustan Steelworks Construction Limited have placed orders last year for 1,43,000 tonnes of structural materials for the Bokaro Steel Plant. These are being fulfilled generally according to the requirements of construction schedule of the plant.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

House Rent for Railway Staff of Bondamunda (South Eastern Railway)

1078. SHRI INDRAJIT GUPTA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Railway staff working at Bondamunda, South-Eastern Railway are deprived of House Rent Allowance although the station is in close proximity to the Rourkela industrial township; and

(b) if so, whether steps will be taken to sanction payment of this allowance at an early date ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : (a) and (b). Staff working at Bondamunda have since been sanctioned House Rent Allowance at the rates admissible to staff at Rourkela for a period of 3 years with effect from 1-8-68, if otherwise admissible.

रामनाथपुर स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर आक्रमण

1079. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1968 में उत्तर-पूर्व रेलवे पर के रामनाथपुर स्टेशन पर विद्यार्थियों ने आक्रमण किया था और इसके फलस्वरूप रेलवे की बहुत हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की हानि हुई और इस सम्बन्ध में कितने विद्यार्थियों को गिरफ़्तार किया गया ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। 30-11-1968 को लगभग 250-300 विद्यार्थियों ने स्टेशन पर आक्रमण किया तथा रेल सम्पत्ति को क्षति पहुंचायी।

(ख) अनुमानतः 758 रुपये की हानि हुई। सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनमें दो विद्यार्थी थे।

अमरीका को इस्पात का निर्यात

1080. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या इस्पात खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1967 से अब तक भारत से अमरीका को कितनी मात्रा में इस्पात का निर्यात किया गया; और

(ख) इसके फलस्वरूप सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). 1 जनवरी, 1967 से 30 नवम्बर 1968 तक की अवधि में अमरीका को 1168.440 टन इस्पात का निर्यात किया गया, जिसका जहाज तक निःशुल्क मूल्य 664,404 रुपये था।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

1081. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री राममूर्ति :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनयरिंग कारपोरेशन, रांची के सैक्टर 2, साइट 5 में रहने वाले हिन्दू कर्मचारियों को अपने क्वार्टर खाली करने के लिये कहा गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर मुसलमान कर्मचारियों को क्वाटर दिये जा रहे हैं, जिससे वे सब एक ही बस्ती में मुस्लिम कर्मचारियों के साथ सामूहिक रूप से रह सकें;

(ग) क्या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कर्मचारियों को एक अलग बस्ती में सामूहिक रूप से बसाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस कार्यवाही को अनुचित नहीं समझती; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ). इस प्रश्न पर औद्योगिक और समवाय-कार्य मंत्री ने 2 दिसम्बर 1968 को राज्य-सभा में ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में एक वक्तव्य दिया था। इस वक्तव्य में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट की गई है। वक्तव्य की प्रति संलग्न है।

विवरण

अगस्त, 1967 की घटनाओं के पश्चात् हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के मुसलमान कर्मचारियों को 'आर्टिजन होस्टल' नामक इमारत में स्थानान्तरित कर दिया गया था, वे तभी से इस इमारत में जहां कि रहने की जगह कम और स्वास्थ्यप्रद नहीं है, रह रहे हैं। उनमें अधिकांश परिवार एक-एक कमरे में रहते हैं। इनमें से बहुत से कर्मचारियों ने अपने परिवारों को घर भेज दिया है। ये औद्योगिक कर्मचारी जो अलग रह रहे थे उनके इस एक स्थान पर एकत्रित हो जाने से अवान्छनीय परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। हैवी इंजीनियरिंग निगम के अध्यक्ष ने मुस्लिम कर्मचारियों से अपने क्वाटरों में वापस जाने का आग्रह करने की दृष्टि से अनेक बार परामर्श किया है। मुस्लिम कर्मचारियों ने अभ्यावेदन दिया है कि अपने क्वाटरों में वापस जाने में वे स्वयं को अभी इतना सुरक्षित नहीं समझते हैं क्योंकि काम के समय में कारखाने में उपस्थित रहने पर वे अपने बीवी बच्चों को घर पर छोड़ सकें। स्थान सीमित होनेके कारण, आर्टिजन होस्टल में मुसलमान कर्मचारी और उनके परिवारों को आवास देना सम्भव नहीं है।